5. वित्त (व्यय–2) विभाग।

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–5) विभाग

संयुक्त शासन सचिव

क. प. 14 (4) कार्मिक/क–5/2014 जयपुर, दिनांक 05.05.2014

1. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
3. समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स।

विषयः–राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 765/2013 श्री अजीत कुमार जैन बनाम राज्य सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दायर डी.बी. स्पेशल अपीलों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2014 को दिये गये आदेश के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान इस विभाग के सम संख्यक पत्र दिनांक 29.04.2014 की ओर आकर्षित कर लेख है कि डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 765/2013 श्री अजीत कुमार जैन बनाम राज्य सरकार के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2014 को दिये गये निर्णय की पालना में माननीय उच्च न्यायालय को शीघ्र सूचना उपलब्ध कराने हेतु आपके अधीनस्थ विभागों में दिनांक 10.04.2006 तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके दैनिक वेतनभोगी/संविदा कर्मियों, जिन्हें अब तक नियमित नही किया गया हो, की सूचना पत्र के पृष्ठ भाग में अंकित प्रपत्र में अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया था, जो अब तक अपेक्षित है।

अतः कृपया इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र में आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक : प.12(6)साप्र/5/14 जयपुर, दिनांक: 06.05.2014

प्रतिलिपि समस्त प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान/प्रबन्धक, राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस/राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, नई दिल्ली को प्रेषित कर लेख है कि वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र में आज ही E-Mail/FAX से भिजवाने की व्यवस्था करावें।

(मुन्नालाल शर्मा)
शासन सहायक सचिव

प्रपत्र

विभाग का नाम:–.....

क्र.सं	कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवा की श्रेणी दैनिक वेतन भोगी/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/अन्य	विभाग में प्रथम नियुक्ति की दिनांक	दिनांक 10.04. 2006 को सेवा की अवधि	वर्तमान में कार्यरत है/नहीं	27.02.2009 के तहत नियमित नियुक्ति योग्य है/नहीं	वर्तमान में मिल रहे वेतन एवं अन्य परिलाभ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना एफ0 5(2)डीओपी/ए–II/2008 दिनांक 27.2.2009 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई /नहीं की गई। यदि नही तो कारण का उल्लेख करें।

2. अन्य संबंधित विवरण.....

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A- Group-II)

No. F. 5(2) DOP/A-II/2008 Jaipur, dated: 27-02-09

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Class-IV Service (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 1999, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Rajasthan Class-IV Service (Recruitment and other Service Conditions) (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment of rule 6 .-** After sub-rule (3) to rule 6 of the Rajasthan Class-IV Service (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 1999 hereinafter referred to as the said rules, the following new sub-rule (4) shall be added, namely:-

"(4) Notwithstanding anything contained in these rules the persons irregularly appointed on any duly sanctioned posts mentioned in column number 2 against serial number 4 of schedule and completed ten years service on 10-4-2006, without intervention of any court or tribunal, and continuously working as such on the date of commencement of these amendment rules, shall be screened by a committee consisting of-

(i) Principal Secretary / Secretary to the Government, Department of Personnel;

(ii) Principal Secretary / Secretary to the Government, Finance Department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary; and

(iii) Principal Secretary/ Secretary to the Government, of the concerned department.

Provided they were eligible for appointment, as per rules on the date of their initial irregular appointment and vacancy is available at the time of screening. The Appointing Authority shall issue appointment order of the person, who is adjudged suitable by the screening committee and appointment shall be effective from the date of issue of such appointment order.

(3) **Amendment of rule 32 .-** After the existing proviso (5) of rule 32 of the said rules following new proviso (6) shall be added, namely:-

"(6) the inter-se seniority of the persons screened under sub-rule (4) of rule 6 shall be determined according to the length of continuous service after their irregular appointment. These persons shall rank junior to the persons appointed regularly before the commencement of these amendment rules."

By Order and in the name of the Governor,

(B. K. Dosi)
Deputy Secretary to the Government